Helpline **1064** | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमंद में पुलिस थाना चारभुजा का हैड कानिस्टेबल एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *14 दिसम्बर*, बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये डाउराम हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना चारभुजा, जिला राजसमंद एवं उसके दलाल भंवरनाथ (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने की एवज में डाउराम हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना चारभुजा, जिला राजसमंद द्वारा उसके दलाल भंवरनाथ (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की राजसमंद इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूप सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये डाउराम पुत्र स्व. श्री चुन्नीलाल निवासी अर्जुनगढ़, पुलिस थाना देवगढ़, जिला राजसमंद हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना चारभुजा, जिला राजसमंद एवं उसके दलाल भंवरनाथ पुत्र श्री लेहरनाथ निवासी जस्सा जी का गुढ़ा, पुलिस थाना चारभुजा, जिला राजसमंद (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।